124

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक:- प.6(18)राज-6/99/4 जयपुर, दिनांक:- 13 फरवरी, 2001

-: अधिसूचना :-

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या-15) की धारा 260 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिनियम की धारा 90-ख, जैसे कि राजस्थान विधियां (संशोधन) अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम संख्या 21) के द्वारा अन्तःस्थापित की गई है, के प्रयोजनार्थ राज्य में पदस्थापित समस्त नायब तहसीलदारों को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर अधिकारों का पर्यवसान (Extinction) एवं भूमि पुनर्ग्रहण करने हेतु प्राधिकृत अधिकारी को शक्तियां प्रदत्त करती है।

राज्यपाल के आदेश से,

(एल0 एन0 शर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, राजस्व मंत्री/मुख्य सचिव/राजस्व सचिव/नगरीय विकास सचिव।
2. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
3. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
4. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
5. निदेशक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय जयपुर को राजपत्र विशेषांक दिनांक 13.2.2001 में प्रकाशनार्थ।
6. "राविरा" राजस्व मण्डल, अजमेर।
7. निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
8. उप निबन्धक (वित्त एवं लेखा) राजस्व मण्डल, अजमेर।
9. निदेशक, सूचना प्रोद्योगिकी (कम्प्यूटर्स) विभाग।
10. निदेशक, आर0आर0टी0आई0 अजमेर।
11. विधि संहिताकरण विभाग।
12. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव